इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 004
ईपीएबीएक्स 2706577-78, 2702784 फैक्स 0141-2705575
Website : igprgvs.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ 4 ( ) भण्डार / आईजीपीआरएस / 2015 / 671 दिनांक: 21-4-15

निविदा सूचना

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर को निम्नलिखित कार्यो हेतु प्रतिष्ठित प्रदायकों, एजेंसियो से निम्नानुसार मोहरबन्द निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। पूर्ण रूप से भरी मोहर निविदाऐं निम्नानुसार तिथियों को 10.00 बजे संस्थान द्वारा गठित क्रय समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायगी। निविदा की विस्तृत जानकारी संस्थान की वेबसाईट : **igprgvs.rajasthan.gov.in & www.spp.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है। निविदा खोलने की तिथि के संशोधन में क्रय समिति को पूर्ण विवेकाधिकार तथा तिथि संशोधन की सूचना नोटिस बोर्ड पर अंकित कर दी जाएगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अवधि	अनु. वार्षिक राशि (रूपये में)	अमानत राशि	निविदा शुल्क	निविदा फार्म विक्रय तिथि एवं समय	निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि
1.	संस्थान में वाहन किराये पर लेने हेतु	1 वर्ष	15,00,000/-	30,000/-	400/-	निविदा प्रकाशित होने की तिथि से कार्यालय समय	07.05.2015 को दोपहर 12.00 बजे तक
2.	स्टेशनरी एवं अन्य सामान क्रय हेतु	1 वर्ष	3,00,000/-	6,000/-	200/-	निविदा प्रकाशित होने की तिथि से कार्यालय समय	07.05.2015 को दोपहर 12.00 बजे तक
3.	बैग सप्लाई करने हेतु	1 वर्ष	5,00,000/-	10,000/-	200/-	निविदा प्रकाशित होने की तिथि से कार्यालय समय	07.05.2015 को दोपहर 12.00 बजे तक
4.	वाटर प्योरी फायर बोटल सप्लाई हेतु	1 वर्ष	3,00,000/-	6,000/-	200/-	निविदा प्रकाशित होने की तिथि से कार्यालय समय	07.05.2015 को दोपहर 12.00 बजे तक
5.	फर्नीचर (सोफा व वार्डरोप) सप्लाई करने हेतु		6,00,000/-	12,000/-	200/-	निविदा प्रकाशित होने की तिथि से कार्यालय समय	07.05.2015 को दोपहर 12.00 बजे तक

अतिरिक्त निदेशक

इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 004

ईपीएबीएक्स 2706577–78, 2702784 फैक्स 0141–2706575

E-mail: igprgvs@rajasthan.gov.in

बैग आपूर्ति हेतु निविदा

निविदा प्रपत्र

मूल्य : 200 /– रूपये

अनुमानित राशि 5,00,000/–

अमानत राशि 10,000/–

अवधि : एक वर्ष

निविदा प्रस्तुत करने की आखरी दिनांक – 07.05.2015 (दोपहर 12.30 बजे तक)

तकनीकि निविदा खोलने की दिनांक – 07.05.2015 (दोपहर 2.30 बजे तक)

वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक – 08.05.2015 (दोपहर 2.30 बजे)

नोट :– नेट से डाउनलोड टेंडर प्रपत्र–निविदा शुल्क का डी.डी. महानिदेशक, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के नाम का संलग्न करें।

इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 004
ईपीएबीएक्स 2706577-78, 2702784 फैक्स 0141-2706575
E-mail: igprgvs@rajasthan.gov.in

बैग आपूर्ति निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें

1. निविदायें मोहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होंगी। लिफाफे पर स्टेशनरी आपूर्ति हेतु निविदा लिखा होना चाहिये।
2. निविदायें निर्धारित प्रपत्र में दी जानी अनिवार्य हैं।
3. तार टेलिफोन तथा ई-मेल से निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी।
4. निविदादाता द्वारा अंकित दरे अंको के साथ-साथ शब्दों में भी लिखी जानी आवश्यक हैं।
5 अंकित की जाने वाली दरें उसी इकाई में अंकित की जायेगी जिसमें कि वह चाही गई हैं। चाहीं गई इकाई से भिन्न दरें स्वीकार्य नहीं होगी। निविदा स्पष्ट शब्दों में अक्षरों में पेन/स्याही से ही भरी जाये। किसी भी प्रकार की कांट-छांट या ओवर राईटिंग के कारण निविदा निरस्त की जा सकती हैं अथवा निविदा खोलने वाली समिति ऐसी कांट-छांट ओवर राइटिंग पर जो भी निर्णय ले,वह निविदादाता को मान्य होगा।
6. निविदादाता द्वारा अंकित की गई किसी अन्य प्रकार की शर्त को स्वीकार करने की इस संस्थान को कोई बाध्यता नहीं होगी।
7. अनुबन्धकर्ता फर्म को दिये गये कॉन्ट्रेक्ट को किसी अन्य एजेन्सी एवं फर्म को नहीं सौंप सकेगा। अर्थात् सबलेट नही कर सकेगा।
8. संस्थान न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार संस्थान को होगा।
9. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदादाता को बयाना राशि (अग्रिम राशि) के रूप में 10,000/- रूपये की राशि नकद अथवा महानिदेशक इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जायेगी तथा निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि संस्थान द्वारा लौटा दी जायेगी।
10. बयाना (अग्रिम राशि) का समपहरण निम्न स्थिति में किया जा सकेगा -
    1 निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात् किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को (मोडिफेकेशन) उपान्तरित कर देता हैं।

निविदाकर्त्ता के हस्ताक्षर

2 जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता ।

3 जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात् नियत समय में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता।

4. जब निर्धारित समय में स्टेशनरी सप्लाई प्रारंभ करने में विफल रहता है।

11. निविदा स्वीकृति होने की स्थिति में सफल निविदादाता को 500/– रू0 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर संस्थान द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध करना पड़ेगा । अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अनुबंधकर्ता को निविदा की राशि का 5% बतौर प्रतिभूति राशि के रूप में संस्थान मे नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी पड़ेगी । यह राशि अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन होने की स्थिति मे अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर लौटा दी जावेगी इस राशि पर संस्थान द्वारा कोई ब्याज देय नही होगा ।

12. प्रतिभूति राशि को निम्न परिस्थितियों मे समपहरण किया जा सकता है।

(अ) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तो को भंग किया जाता हैं ।

(ब) जब निविदादाता सन्तोषप्रद रूप से आपूर्ति करने में विफल रहता हैं ।

(स) प्रतिभूति निक्षेप के समपरहण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा समय के सबंध में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

13. अनुबंध करार के पूर्ण किए जाने तथा स्टाम्प शुल्क आदि का व्यय निविदादाता द्वारा किया जाएगा। और विभाग को करार का स्टाम्प शुद्ध प्रतिलेख निः शुल्क प्रस्तुत किया जावेगा।

14. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निदेशक इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा तथा यदि परिस्थितिवश किसी प्रकार का कानूनी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा जयपुर के न्यायालय में ही किया जायेगा।

15. संस्थान को जो स्टेशनरी सामग्री खरीदनी है उसके लिए संस्थान के अन्तर्गत गठित एक कमेटी द्वारा नमूने अनुमोदित कर दिये गये हैं। निविदादाताओं से अपेक्षित है कि वह उन अनुमोदित नमूनों के लिए ही अपनी दरें अंकित करें। किसी अन्य प्रकार के आईटम की दरें स्वीकार्य नहीं होगी और न ही किसी प्रकार का सैम्पल स्वीकार्य होगा।

16 अनुमोदित किये गये स्टेशनरी के सैम्पल किसी भी कार्यालय दिवस पर कार्यालय समय में संस्थान के भण्डार शाखा में देखे जा सकते हैं।

17. आइटम वाईज न्यूनतम दरों के आदेश दिये जाने पर उनके द्वारा सप्लाई संस्थान के सैम्पल के अनुसार ही करनी होगी। सप्लाई आईटम का मिलान विभागीय सैम्पल से होने उपरान्त ही माल स्वीकार किया जाकर भुगतान किया जावेगा। इस संबंध में निदेशक, संस्थान को पूर्ण अधिकार होगा कि कोई कारण बताये बिना न्यूनतम के अतिरिक्त अन्य किसी निविदा को स्वीकार कर लिया जावे।

निविदाकर्त्ता के हस्ताक्षर

18 अनुबन्धकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि आदेश दिये जाने के तीन दिवस के भीतर आदेशित मात्रा में स्टेशनरी का सामान सप्लाई कर दे। यदि सप्लाई में विलम्ब होता है तो संस्थान को बिल में से कटौती करने का अधिकार होगा तथा कटौती की सीमा के सम्बन्ध में संस्थान के महानिदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

19. सप्लाई किये गये सामान को स्वीकार करने और अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान की उक्त समिति को होगा। यदि सप्लाई किये गये माल अनुमोदित सैम्पल के अनुसार नहीं पाया गया तो उसे अस्वीकार कर दिया जावेगा। तथा अस्वीकार करने के फलस्वरूप यदि अनुबन्धकर्ता को किसी प्रकार की हानि होती है तो उसके लिए यह संस्थान उत्तरदायी नही होगा।

20. अनुबन्धकर्ता को निर्धारित सैम्पल के अनुसार माल देना होगा। यदि निर्धारित अवधि में अनुबन्धकर्ता माल सप्लाई करने में असफल रहता है। अथवा निम्न स्तर का माल सप्लाई करता है तो इस संस्थान को यह अधिकार होगा कि माल की बाजार से वैकल्पिक व्यवस्था कर ले तथा इस कार्यवाही में यदि संस्थान को किसी प्रकार का अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा तो अन्तर की राशि अनुबन्धकर्ता से वसूली योग्य होगी। उक्त स्थिति में संस्थान कार्यादेश निरस्त करने के लिए अधिकृत होगा।

21 निविदाकार, निविदा में अपनी दरें एफ.ओ.आर. इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान अंकित करे। यह संस्थान सप्लाई के लिये किसी प्रकार का परिवहन व्यय वहन नहीं करेगा।

22. निविदा में सभी दरें टेक्सपेड अंकित की जायें। यह संस्थान किसी प्रकार की टेक्स की राशि का भुगतान पृथक से नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार का प्रमाण – पत्र देने की बाध्यता संस्थान की होगी।

23. स्टेशनरी सामग्री की सप्लाई हेतु संस्थान द्वारा किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। सामग्री के उपरान्त जो भी बिल होगा उसका भुगतान सप्लाई की गयी सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने के उपरान्त किया जायेगा।

24. संतोजनक रूप से स्टेशनरी की सप्लाई न करने पर संस्थान को किसी भी समय बिना पूर्व नोटिस के अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार होगा।

25. निविदा की शर्तों के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह किसी भी कार्यालय दिवस में, कार्यालय समय में, सक्षम अधिकारी से मिलकर प्राप्त कर सकते हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

26. फर्म के पैन नम्बर फोटोस्टेट प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

28 निविदा पूर्व बैठक में आना आवश्यक है ।

29 सैम्पल कार्यालय समय में स्टोर कीपर, संस्थान के पास देखे जा सकते है।

30 बोलीदाता से अपेक्षित है कि यदि उनकी दरें न्यूनतम पाई जाती है जो एक सप्ताह के अन्दर नमूने के अनुसार बैग प्रस्तुत करेंगे।

अतिरिक्त निदेशक

मैंने/हमने उपरोक्त शर्ते अच्छी तरह से पढ़/समझ ली हैं तथा इन्हें मैं पूर्णरूपेण स्वीकार करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 004
ईपीएबीएक्स 2706577–78, 2702784 फैक्स 0141–2706575
E-mail: igprgvs@rajasthan.gov.in

निविदा प्रपत्र

विषयः – बैग आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा डाक का पूरा पता :–
   ....
   (टेलिफोन नं.अवश्य अंकित करें)
2. निविदा शुल्क की रकम राशि रूपये.............. रोकड राशि संख्या............दिनांक..............................
3. संदर्भः– निविदा सूचना संख्या क्रमांक एफ 4 ( ) ग्राविस / भंडार / 2014 / ....दिनांक...............
4. निविदा शुल्क की रकम राशि संख्या.........................दिनांक......................द्वारा संस्थान में गई हैं।
5. निविदा सूचना संख्या क्रमांक एफ ( )ग्राविस / भंडार / 2014............दिनांक..............जो विभिन्न स्थानीय समाचार पत्रों के द्वारा जारी की गई हैं, मैं / हम वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए हम सहमत हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप, हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं–का भी पालन के लिए हम सहमत हैं।
6. फर्म का रजिस्ट्रेशन नं. टिन नं0, बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड नं. अमानत धरोहर राशि की रसीद की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य है
7. उक्त निविदा के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार राशि रूपये 10,000 /– (अंकेन रूपये दस हजार मात्र) नकद की रसीद संख्या.................. डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या..............................दिनांक............... बैंक का नाम .... को निदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के पक्ष में देय है,सग्लन हैं।
8. हम अपनी न्यूनतम दर संलग्न–अनूसूची क में अंकित करते हैं।
9. निविदादाता एक स्वामित्व की फर्म है अथवा साझेदारी की
10. एकल स्वामित्व है तो स्वामी का नाम व पता..
11. साझेदारी की स्थिति में, साझेदारों है नाम पते..
12. निविदा पत्र एवं अनुसूची क पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता उसकी फर्म में स्थिति
    ....
13. इस निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षरित व्यक्ति के अलावा यदि कोई व्यक्ति भविष्य में पत्र व्यवहार करे तो उस व्यक्ति का नाम व पता एवं हस्ताक्षर तथा उसकी फर्म में स्थिति अंकित करें।
14. दूरभाष नं0

निविदादाता के हस्ताक्षर मय
मोहर व पता सहित

अनुसूची – क

क्र. सं.	वैग	दर राशि
1.	सैम्पल नं0 – 1	
2.	सैम्पल नं0 – 2	
3.	सैम्पल नं0 – 3	
4.	सैम्पल नं0 – 4	
5.	सैम्पल नं0 – 5	
6.	सैम्पल नं0 – 6	
7.	सैम्पल नं0 – 7	
8.	सैम्पल नं0 – 8	

दरें विभागीय सैम्पल के मेटेरियल अनुसार दी गई हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम
पता व दूरभाष संख्या

चैक लिस्ट

1. टर्न ओवर – बैंक स्टेटमेंट 5.00 लाख (2013–14)
2. पैन नम्बर फर्म/प्रोपराईटर
3. टिन नम्बर –